

प्ररूप	आईटीआर -1 सहज	भारतीय आय-कर विवरणी		निर्धारण वर्ष					
		<p>[ऐसे व्यक्ति के लिए, जो निवासी (मामूली तौर पर निवासी से भिन्न) है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि), धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ और 5 हजार रुपये तक की कृषि आय से आय है]</p> <p>[ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध सामान्य शेरों में निवेश किया है या ऐसी दशाओं में, जहां 194ढ के अधीन स्रोत पर कर काटा गया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है] या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी हैं)</p> <p>(पात्रता के लिए निर्देश देखें)</p>		2 0 2 5 - 2 6					

भाग क साधारण जानकारी																				
(क1) स्थायी खाता संख्या	(क2) प्रथम नाम	(क4) जन्म तारीख							(क5) आधार नंबर (12 अंक)											
		ता	ता	मा	मा	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष											
(क2क) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम																			
(क6) मोबाइल नंबर	(क7) ईमेल पता	पता : (क8) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक नं. (क9) परिसर/भवन/गांव का नाम (क10) सड़क/गली/पोस्ट ऑफिस क्षेत्र/स्थानीयता (क11) शहर/शहर/जिला (क12) राज्य (क13) देश (क14) पिन कोड																		
(क15) धारा के अधीन फाइल (टिक) /कृपया निर्देश देखें/	<input type="checkbox"/> 139(1) -- नियत तारीख पर या उससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4) -विलंबित, <input type="checkbox"/> 139 (5) - पुनर्निश्चित, <input type="checkbox"/> 119 (2) (ख) - देरी की माफी के पश्चात्							(क17) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-सीजी <input type="checkbox"/> पेंशनर-एसजी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी -पीएसयू <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (जैसे कुटुंब पेंशन आदि)												
(क16) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153ग																			
(क18) यदि पुनर्निश्चित/ दोषपूर्ण है, तो मूल विवरणी की रसीद संख्या और फाइल करने की तारीख दर्ज करें। (तारीख/माह/वर्ष)																			/	/
(क19) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस है या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के उत्तर में फाइल किया जाता है - यूनीक संख्या / दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें																			/	/

(क20) क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के लिए धारा 115 खकग (6) के अधीन विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं? (डिफॉल्ट "नहीं" है) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(क21) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? - (टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण वह आय का विवरणी फाइल कर रहा है]]	
(i) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है? (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ है)
(iii) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं

भाग ख सकल कुल आय				केवल पूरा रुपया (₹)	
ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग+ iघ+ iङ)		i	
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक		
		धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख		
		धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग		
		धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	iघ		
		धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ		
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) (सुनिश्चित करें कि यह वेतन आय में सम्मिलित है) 17(1)/17(2)/17(3))		ii	
	iiक	कटौती: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		iiक	
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii-iiक)		iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख + ivग)		iv	
	क	धारा 16 (iक) के अधीन मानक कटौती	ivक		
16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		ivख			
धारा 16(iii) के अधीन व्रत्तिक कर		ivग			

	v	'वेतन' मद के अधीन प्रभारित आय (iii - iv)							ख1	
ख2	लागू विकल्प पर टिक करें <input type="checkbox"/> स्व-कब्जे <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझा गया									
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य							i	
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को कर का भुगतान किया गया					ii			
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)							iii	
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%					iv			
	v	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)					v			
	vi	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अप्राप्त किराया 30% से कम					vi			
	vii	गृह संपत्ति ' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) के अधीन प्रभारित आय टिप्पण: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें							ख2	
ख3	अन्य स्रोतों से आय (बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे बचत खाते, जमा आदि को ई-फाइलिंग उपयोगिता में आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए प्रदान किया जाना है और धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए लाभांश आय और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234 ग से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें)							ख3		
	कटौती: धारा 57 (ii क) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)									
	कटौती: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय									
ख4	सकल कुल आय (ख1 + ख2 + ख3) (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) टिप्पण: हानि के अग्रेशन व समुच्चयन का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें							ख4		
भाग ग - कटौती और कर योग्य कुल आय (आय-कर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देश देखें)										
80ग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(1) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(1ख) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(2) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगज	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ड (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80डड (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)

80डडक (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80डडख (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छ (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछ (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछक (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछग (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ननक	80ननख	80प (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
कुल कटौती				ग1				कुल आय (बी4-ग1)	ग2	
रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए छूटप्राप्त आय और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है				ई-फाइलिंग उपयोगिता में छूटप्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए						
आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है :										
i. कुल विक्रय प्रतिफल										
ii. अर्जन की कुल लागत										
iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ										

		भाग घ - संदेय देय कर की संगणना							
घ1	कुल आय पर देय कर		घ2	धारा 87ए के अधीन छूट		घ3	छूट के पश्चात कर		
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ घ3 पर 4%		घ5	कुल कर और उपकर		घ6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए प्ररूप 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)		
घ7	धारा 234क के अधीन ब्याज		घ8	धारा 234ख के अधीन ब्याज		घ9	धारा 234ग के अधीन ब्याज		
घ10	234घ के अधीन शुल्क		घ11	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)					
घ12	भुगतान किए गए कुल कर		घ13	देय राशि (घ11-घ12) (यदि घ11>घ12)		घ14	प्रतिदाय (घ12-घ11) (यदि घ12>घ11)		
भाग ड - अन्य जानकारी									
पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)									
क्र. सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार (ई- फाइलिंग उपयोगिता	धनवापसी उधार के लिए खाते का चयन करें				

				द्वारा प्रदान किया जाने वाला ड्रॉपडाउन)	
I					
<p>1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय खोले गए सभी बैंक खातों की रिपोर्ट देनी होगी।</p> <p>2. उधार प्रतिदाय के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए।</p> <p>3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा ।</p>					

अनुसूची-आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर भुगतान का विवरण							
	बीएसआर कोड			जमा करने की तारीख (ता/माह/वर्ष)	चालान का सीरियल नंबर	कर का भुगतान	
	स्तंभ (1)			स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	
आर1							
आर2							
अनुसूची-टीडीएस -- टीडीएस/टीसीएस का विवरण [कटौतीकर्ता(ओं)/नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16/16क/16ग/27घ के अनुसार]							
	कटौतीकर्ता/कलेक्टर का टैन या किरायेदार की पैन/आधार संख्या	कटौतीकर्ता/कलेक्टर/ किरायेदार का नाम	धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है	सकल भुगतान/प्राप्ति जो कर कटौती/संग्रह के अधीन हो ।	कर कटौती/संग्रहण का वर्ष	कटौती/संग्रहीत किया गया कर	(5) में से इस वर्ष दावा किए गए टीडीएस/टीसीएस जमा
	स्तंभ (2)	स्तंभ (3क)	स्तंभ (3ख)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)	स्तंभ (7)
टी							
टी							

सत्यापन

प्राप्तकर्ता पदधारी की स्टाम्प रसीद संख्या, मुहर, तारीख और हस्ताक्षर

मैं,..... पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं _____ के प्ररूप में अपनी क्षमता में यह विवरणी दे रहा हूँ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाने वाला ड्रॉप डाउन) और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख:

हस्ताक्षर:

। यदि विवरणी कर विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो नीचे और विवरण दें :

टीआरपी की पहचान संख्या	टीआरपी का नाम	टीआरपी के काउंटर हस्ताक्षर										
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति की हकदार है, तो उसकी राशि												